


वास्तु बहस भाषादि एवं बहस इर. दि. 3/1/24 का

पेश

3/1/24

पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित/ बहस उभयपक्ष सुनी गई। अप्रार्थी द्वारा जय अभिभाषक दिनांक 02.08.2023 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण से संबंधित राशि को माननीय वाणिज्यिक न्यायालय कोटा ने स्थगित कर दिया है। इस संबंध में माननीय वाणिज्यिक न्यायालय कोटा के दीवानी विविध प्रकरण संख्या 14/2023 में पारित आदेश दिनांक 11.07.2023 की प्रति पेश की। जिसमें " प्रार्थी/वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध अप्रार्थी/प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया गया है कि वे उनके द्वारा जारी आदेश क्रमांक 2326-35 दिनांक 26.12.2019, के क्रम में पत्रांक 3226-2/ दिनांक 20.03.2020, पत्रांक 2765-66 दिनांक 22.01.2021, पत्रांक 978-79 दिनांक 23.07.2021, पत्रांक 1183 दिनांक 08.09.2021 एवं पत्रांक 4171-73 दिनांक 23.11.2022 की क्रियान्विति के क्रम में प्रार्थी से कोई राशि वसूल न करें और प्रार्थी कम्पनी की बैंक गारण्टी से न तो कटौति करे, और न ही वसूली करें।" चूंकि प्रकरण में माननीय वाणिज्यिक न्यायालय कोटा द्वारा वसूली पर स्थगन आदेश जारी किया हुआ है। ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही संभव नहीं है। अतः मूल वाद के निस्तारण तक हस्तगत प्रकरण स्थगित किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तामील अभिलेख में प्रविष्टि हो। आदेश सुनाया गया।


जिला कलक्टर
बारां (राज०)

